मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2013
1.4.2013

क्रमांक एफ 3–3/2013/26–2 : मंत्रि–परिषद् आदेश आयटम क्रमांक–8 दिनांक 24 सितम्बर 2012 को लिये गये निर्णय के तहत ऐसे दम्पत्ति जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं हों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से "**मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना**" प्रारम्भ की जाती है।

यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल 2013 से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक प्रभावशील रहेगी।

योजना का विस्तृत विवरण संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
30/3/13
(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
म0प्र0 शासन,सामाजिक न्याय विभाग
भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2013
1.4.2013

क्रमांक एफ 3–3/2013/26–2
प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्यसचिव, भोपाल
3. विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, मध्यप्रदेश,
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0 प्र0 शासन, भोपाल,
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
10. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उक्त योजना राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
11. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
13. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश।
14. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद्, मध्यप्रदेश
15. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर.पी.एस.जादौन)
उप सचिव,
म0प्र0 शासन,सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 3-3/2013/26-2 भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2013
1.4.2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, (भोपाल संभाग)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय,
4. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद,
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

-0-

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1-4-2013 से प्रारम्भ करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

2. योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :-

1. हितग्राही दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो,
2. हितग्राही दम्पत्ति की संतान मात्र पुत्री हों,
3. दम्पत्ति सभी गैर आयकरदाता योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
4. पेंशन की दर रू0 500/- प्रतिमाह प्रति दम्पत्ति रहेगी।

41
4.4.013

3. योजना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है एवं इस पत्र के साथ भी योजना की प्रति संलग्न की जा रही है।

4. इस योजना के अंतर्गत आन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान रखा गया है। पोर्टल पता इस प्रकार हैं :-

1. **www.socialsecurity.mp.gov.in**
2. www.sssm.nic.in

5. <u>सत्यापन</u> :- प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा कराया जायेगा। सत्यापन के समय हितग्राही से आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाये।

6. **स्वीकृति हेतु सक्षम पदाविहित अधिकारी** :- आवेदन पत्र पूर्ण होने के उपरान्त पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/

नगर परिषद् सक्षम स्वीकृतियां जारी करेंगे। जिन हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये गये है उनके स्वीकृति आदेश जारी किये जाकर जानकारी पोर्टल पर डाली जायेगी ताकि हितग्राही दम्पत्ति को नियमित रूप से मासिक पेंशन प्राप्त हो सके।

7. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का भव्य शुभारम्भ भोपाल में मई के प्रथम सप्ताह में संभावित है, जिसमें भोपाल एवं भोपाल संभाग के जिलों के हितग्राहियों को आमंत्रित किया जायेगा तथा आयोजित समारोह में ही स्वीकृति पत्र प्रतीक के रूप में वितरित किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि दी गई समय सीमा के भीतर आप आपके जिले के हितग्राहियों का चिन्हांकित कर उनके प्रकरण योजना में दी गई गई प्रक्रिया के तहत अप्रेल माह के अंत तक स्वीकृत कराकर एक प्रति आयुक्त सामाजिक न्याय को दिनांक 25–4–2013 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
म0प्र0 शासन,सामाजिक न्याय विभाग

क्रमांक एफ 3–3/2013/26–2 भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2013
1.4.2013

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्यसचिव, भोपाल
3. आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश। कृपया इस योजना की आप अपने स्तर से बैठक कर समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहें।

(आर.पी.एस.जादौन)
उप सचिव,
म0प्र0 शासन,सामाजिक न्याय विभाग

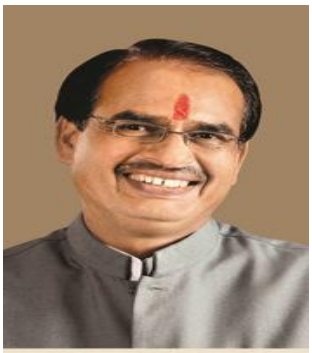

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

गोपाल भार्गव
मंत्री, सामाजिक न्याय,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

(वर्ष 2013-14)

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	उद्देश्य	1
3.	योजना का विस्तार	1
4.	योजना का प्रारम्भ होना	2
5.	योजना अंतर्गत सहायता राशि	2
6.	पात्रता के मापदण्ड	2
7.	अपात्रता के मापदण्ड	2
8.	पात्रता की पुष्टि हेतु दस्तावेज	2
9.	आयु एवं निवास के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज	3
10.	अन्य दस्तावेज	3
11.	स्वीकृति के अधिकार एवं समय सीमा	3
12.	निकायों के अंतर्गत सभी सक्षम समितियों का अवलोकन	4
13.	आवेदन करने की प्रक्रिया	4
14.	स्वीकृति की प्रक्रिया	5
15.	रेण्डम जांच	5
16.	अपीलीय	5
17.	बजट आवंटन और पेंशन का भुगतान	6
18.	अभिलेखों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण	6
19.	अनुश्रवण एवं समीक्षा	7
20.	बजट आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया	7
21.	प्रचार–प्रसार एवं प्रशासनिक	8
22.	डाटाबेस	8
23.	साधिकार समिति	8
24.	बेवपोर्टल	8
25.	अन्य	9
26.	आवेदन पत्र का प्रारूप	10–12

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

1. प्रस्तावना

भारत में प्रचलित परम्परा के तहत कन्या के विवाह के उपरान्त कन्या को नई गृहस्थी बसाने पर उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है और वह अपनी स्वयं की गृहस्थी स्थापित करती हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को जिनके केवल कन्या संतान ही है उन्हें उनकी कन्या के विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है। इस अवस्था में माता पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर वे माता पिता जिनकी देखभाल के लिये उनका पुत्र नहीं है। ऐसे दम्पत्ति जिन्होने अपनी युवावस्था में पुत्र संतान की चिन्ता किये बिना छोटा परिवार स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना कर बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम में अपना सहयोग किया। ऐसे दम्पत्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का होना चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं, उनको 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर संयुक्त रूप से (दम्पत्ति अर्थात पति पत्नी) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में 01.04.2013 से लागू की जायेगी।

2. उद्धेश्य

ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है।

3. योजना का विस्तार

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

4. योजना का प्रारम्भ

01 अप्रैल 2013 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रारंभ की जावेगी ।

5. योजना अंतर्गत सहायता राशि

दम्पत्ति को रुपये 500/– प्रतिमाह ।

6. पात्रता के मापदण्ड

6.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

6.2 दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो ।

6.3 दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में केवल पुत्री हो ।

6.4 दम्पत्ति आयकरदाता न हो।

7. अपात्रता के मापदण्ड

7.1 जो हितग्राही पात्रता के मापदण्ड में नहीं आता वह सब अपात्र कहलायेंगे।

7.2 यदि किसी हितग्राही ने उनके पुत्र की जानकारी छिपाकर शासन योजना का लाभ प्राप्त किया है भले ही उनका पुत्र उनको साथ नहीं रख रहा हो ,अपात्र माने जाएंगे।

7.3 केवल जीवित कन्या ही हैं तथा आयकर दाता नहीं है, के आशय का शपथ–पत्र नहीं देते, वह अपात्र माने जायेंगे।

8. पात्रता की पुष्टि हेतु दस्तावेज

जिन दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्टि निम्नांकित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर की जाये :–

8.1 राशन कार्ड.

8.2 मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो.

8.3 ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र.

8.4 आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी.

8.5 दम्पत्ति द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं और न ही उनकी कोई संतान के रूप में पुत्र है, को रू0 50/– के जूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ–पत्र .

9. आयु एवं निवास के संबंध में आवश्यक दस्तावेज

9.1 स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची

9.2 जन्म प्रमाण पत्र

9.3 मतदाता परिचय पत्र

9.4 चिकित्सक प्रमाण पत्र

(उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)

10. अन्य दस्तावेज

10.1 युगल दम्पत्ति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एक फोटो

10.2 विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगी।

11. स्वीकृति के अधिकार एवं समय सीमा

सेवाएं	स्वीकृतकर्ता/पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा	प्रथम अपील		द्वितीय अपील	
			पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	**ग्रामीण क्षेत्र** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
	शहरी क्षेत्र – अ– आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
	ब–मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद्	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
नोट– पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने से पूर्व हितग्राही दम्पत्ति का केवल राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तभी अंतिम स्वीकृति आदेश मान्य किया जायेगा।						

11. निकायों के अन्तर्गत सभी सक्षम समितियों का अवलोकन

सक्षम पदाभिहित अधिकारी को स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये गये प्रकरण को उनकी निकाय की सक्षम समिति की बैठक में अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि समिति के किसी सदस्य ने किसी हितग्राही के मामले में किसी तरह की आपत्ति की है, तो उस आपत्ति की जांच पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराई जायेगी और जांच में सही पाये जाने पर आवेदक का स्वीकृत प्रकरण निरस्त किया जायेगा । ऐसे अस्वीकृत प्रकरण के सम्बन्ध में हितग्राही अपने प्रकरण के निराकरण के लिये अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

12. आवेदन करने की प्रक्रिया

12.1. हितग्राही दम्पत्ति का समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में पंजीकृत होने की स्थिति में उसे केवल पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) के कार्यालय योजना अंतर्गत समग्र कोड के साथ एक सामान्य आवेदन करना हो जिसका प्रारूप परिशिष्ट–''एक'' पर संलग्न है।

12.3 आवेदन–पत्र आनलाईन भी स्वीकार किये जायेंगे जो कि विभाग की समग्र पोर्टल **www.socialsecurity.mp.gov.in** एवं www.sssm.nic.in पर हैं।

12.3 आन लाईन आवेदन पत्र के आवेदकों को अन्य दस्तावेज जो आवश्यक है पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय द्वारा सत्यापित किये जाने के समय उपलब्ध कराने होंगे अथवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा मागे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

12.4 आवेदन करने से दम्पत्ति को केवल राष्ट्रीयकृत बैंक में ही बचत खाता खुलवाना होगा। यह अनिवार्य इसलिये है कि पेंशन राशि का भुगतान हितग्राही को सीधे बैंक खाते में ई–बैंकिंग के माध्यम से किया जायेगा।

12.5 पेंशन भुगतान के लिये अनिवार्य होगा कि हितग्राही का खाता केवल राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाये और हितग्राही द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड अनिवार्य रूप से उसमें अंकित करें।

12.6 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय के अलावा आवेदन पत्र लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी स्वीकार किये जायेंगे।

13. स्वीकृति की प्रक्रिया

पदाभिहित अधिकारी दी गई समय–सीमा में प्रकरण स्वीकृत करने से पूर्व आवश्यक दस्तावज दम्पत्ति हितग्राही से प्राप्त करेंगे और इस बात की पुष्टि करायेंगे कि वे दिये गये पते निवास करते हैं, उनकी कोई जीवित पुत्र संतान नहीं है, उनकी कन्याओं का विवाह हो चुका है और वे आयकरदाता नहीं हैं।

14. रेण्डम जांच

14.1 योजना के अंतर्गत तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा अनुभागीय स्तर पर रेण्डम जांच समय समय पर स्वविवेक से करायेंगे तथा जो शिकायते प्राप्त होती हैं उसकी जांच भी यह दल करेगा। दल में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्र के मामले में जनपद एवं नगरीय क्षेत्र के मामले में नगरीय निकाय के एक–एक कार्यपालिक स्तर के अधिकारी को रखा जायेगा।

14.2 यह दल प्रतिमाह स्वीकृत किये गये प्रकरणों का कम से कम 10 प्रतिशत चेकिंग करेंगे और शिकायत के मामले में शतप्रतिशत चेकिंग की जायेगी।

14.3 शत्यापन रिपोर्ट एवं जांच प्रतिवेदन अनुभागीय अधिकारी अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उनके द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में अनुभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम व मान्य होगा। अनुभागीय अधिकारी द्वारा जिन हितग्राहियों को अपात्रता के कारण पेंशन निरस्त की है उन हितग्राहियों ने अब तक जो राशि पेंशन के रूप में प्राप्त की वह भू–राजस्व की वसूली की तरह वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशन स्वीकृत हुई है लेकिन हितग्राही विस्थापित हो जाने के कारण अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण पेंशन राशि का खाते से आहरण नहीं हुआ है ऐसी राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त की जायेगी।

15. अपीलीय

जनपद पंचायत एवं नगर पालिका, नगर परिषद् के मामलों में अनुभागीय अधिकारी तथा नगर निगम के मामले में कलेक्टर अतिरिक्त प्राधिकारी रहेंगे जो कि समस्त आवेदन पत्रों की सुनवाई का निर्णय देंगे। यह आदेश अंतिम व मान्य होगा। इस

आदेश के विरूद्ध विशेष परिस्थिति में संभागीय आयुक्त सुनवाई करेगे। सुनवाई के लिये समय सीमा 30 दिन रहेगी।

16. बजट आवंटन और पेंशन का भुगतान

16.1 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है वही प्रक्रिया लागू होगी। इसके अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी प्रमाणित सूचियां जिला स्तर से पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करेंगे और उसके आधार पर जिला स्तर से आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा कोषालय में देयक लगाये जायेंगे और देयक से सीधे राथि का भुगतान हितग्राही के खाते में होगा।

16.2 योजना के अंतर्गत राशि आहरण कर नहीं रखी जायेगी और न ही यह अन्य किसी माध्यम से भुगतान की जायेगी।

17. अभिलेखों का संधारण

17.1 शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम/जनपद पंचायत पेंशन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन तथा स्वीकृति / अस्वीकृति के सम्बन्ध में विवरण प्रारूप–2 में रजिस्टर में संधारण करेगी।

17.2 शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा पेंशन का मासिक प्रतिवेदन प्रारूप–5 में (प्रारूप 4की जानकारी सहित) जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा जावेगा।

17.3 जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा योजना अंतर्गत पेंशन के वितरण सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जावेगा।

18. अभिलेखों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण

18.1 अभिलेखों का निरीक्षण जिला उप संचालक, सामाजिक न्याय प्रति त्रैमास तथा संभागीय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय प्रत्येक छः माह में करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन संचालनालय को भेजेंगे।

18.2 संचालनालय के अधिकारियों द्वारा भी अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

18.3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश के अधिकारियों द्वारा भी लेखाओं का निरीक्षण/ परीक्षण किया जा सकेगा।

18.4 कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा भी अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

19. अनुश्रवण एवं समीक्षा

विषयान्तर्गत कार्यक्रम के लिये जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाये जिसमें अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
(2) कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय के अधिकारी	सदस्य
(5) संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	सदस्य सचिव

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी। कार्यक्रम के संचालन में किसी तरह की कठिनाई आती है तो उसको दूर किया जायेगा। जिन प्रकरणों में स्वीकृति जारी की गई है उनका समय समय पर सत्यापन समिति द्वारा कराया जायेगा और समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण आयुक्त, सामाजिक न्याय को प्रति त्रैमास में अनिवार्य रूप से भेजा जाये।

20. बजट आवंटन और भुगतान की प्रक्रिया

20.1 कोषालय में देयक लगाने हेतु मांग संख्या निम्नानुसार रहेंगी –

1. मांग संख्या–34–शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण– 02–समाज कल्याण–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–6693– कन्या अभिभावक पेंशन योजना–#–राज्य सहायता–001–प्रत्यक्ष राज सहायता

2. मांग संख्या–41–शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण– (102)–समाज कल्याण–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–6693– कन्या अभिभावक पेंशन योजना–#–42–सहायक अनुदान– 007– अन्य

3. मांग संख्या–64–शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण– (102)–समाज कल्याण–0103–अनुसूचित जाति उपयोजना– 6693– कन्या अभिभावक पेंशन योजना–#–42–सहायक अनुदान –007– अन्य

21. प्रचार–प्रसार एवं प्रशासनिक

योजना के प्रचार–प्रसार और योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, स्टेशनरी आदि तथा सत्यापन कार्य के लिये आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा कुल आवंटन का 3 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकेगा ।

22. डाटाबेस

22.1 जनपद पंचायत, नगरीय निकाय तथा जिला स्तर पर स्वीकृत प्रकरणों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा और समय समय पर इसकी जांच सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

22.2 डाटाबेस के आधार पर ही प्रत्येक माह पेंशन राशि का भुगतान किया जायेगा।

23. साधिकार समिति

राज्य स्तर पर एक साधिकार समिति गठित होगी। समिति का स्वरूप समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गठित की गई है की तरह होगा। यह समिति नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम होगी।

24 बेवपोर्टल

24.1 आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल **http://socialjustice.mp.gov.in** , http://sssm.nic.in एवं **http://socialsecurity.mp.gov.in**पर उपलब्ध होगा ।

25 अन्य

25.1 आवेदन पत्र पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सूचना पटल पर चस्पा रहेगा जिसके आधार पर टंकण आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

25.2 योजना के अंतर्गत यदि हितग्राही को अन्य कोई पेंशन प्राप्त हो रही है तो वह प्राप्त करता रहेगा।

.....